न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 35 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

वींजीया पुत्र सोना का.गु. जोगाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये

तहसीलदार सिवाना

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम

वास्ते निर्णय

उपस्थिति

1. वकील श्री महेन्द्रकुमार रागावत अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 26.07.2022

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर वहस करते हुए उसमें अंकित विंदुओं को दोहराते हुए वताया कि अपीलकर्ता के पिता द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उनकी शहादत ली गई व उसके पश्चात वह वीमार रहने लगे और निर्णय से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी व आज से करीवन डेढ माह पूर्व जव प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को वादग्रस्त खेत से कब्जा हटाने का निर्देश दिया तव अपीलांट ने अपने वकील वालोतरा के ऑफीस में जाकर अपने पिता के द्वारा किये गये दावे की जानकारी चाही तव उन्होने वताया कि वह दांवा कभी का खारिज हो चुका है। इस पर अपीलांट दुसरे रोज दिनांक 23.02.2016 को वाड़मेर आकर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल मांगी तव उसे जानकारी हुई कि उसके पिता के द्वारा किया गया वाद दिनांक 11.07.1984 को खारिज हो गया है। जवकि उक्त निर्णय की पूर्व मे कभी भी अपलकर्ता को जानकारी नहीं हुई थी व वर्तमान समय में उसे जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुआ विलंव सद्भाविक है। अपील अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर वहस में वताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित की गई। जिसकी जानकारी अपीलांट को प्रारंभ से रही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट ने हस्तगत अपील स्थापित कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना निर्णय व तथ्यों का सही विश्लेषण नहीं कर तथ्यों को छुपाते हुए अपील के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन विधि विरूद्ध पेश किया है। हस्तगत अपील में तथ्यों को तोड़मरोड़कर अपील को ज्ञान की तिथि से अन्दरम्याद लाने का प्रयास किया जो वाद कि बहुलता बढाने के लिए व रेस्पोडेंट को अपने हक–हकुको से महरूम रखने के लिए अपील पेश की गई। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में पारित किया गया। जिसकी जानकारी निर्णय पारित करने के वक्त भी अपीलांट को थी। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील अकारण विलम्ब से पेश की गई है हस्तगत अपील को सुदीर्घ अवधि तकरीबन 31 वर्ष बाद पेश किया गया है जिसका कोई विधि सम्मत कारण नहीं बताया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील मियाद ठहरती है।

लिहाजा अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अपीलांट की अपील को इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। .

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर